दिनांक 09.05.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त श्री के0एल0 चौहान ने निगम क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवारों का बीमा आवेदन भराये जाने की तिथि को बढ़ाते हुए 10 मई अंतिम निर्धारित किया गया है। श्री चौहान ने समस्त पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे सर्वेदल से अपना पंजीयन आवश्यक करावें।

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिक परिवारों का घर–घर जाकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के आवेदन फार्म भराये जा रहें हैं। निगम भिलाई क्षेत्र में कुल 84075 पंजीकृत श्रमिक है। जिसमें 10011 छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार तथा 74064 असंगठित कर्मकार पंजीकृत हैं। इन पंजीकृत श्रमिकों को 04 मई 2018 की स्थिति में केवल 30129 श्रमिक का ही दोनों प्रकार के बीमा के आवेदन फार्म भरायें गये हैं। अर्थात लक्षित संख्या से बहुत कम बीमा होने से जिला प्रशासन द्वारा शत् प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों का बीमा फार्म 10 मई 2018 तक पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया है। जिसके अनुशरण में पंजीकृत श्रमिकों का बीमा आवेदन भराये जाने तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत् अंत्योदय कार्डधारी एवं अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के गरीब परिवारों से उज्जवला गैस कनेक्शन का केवाईसी फार्म भराये जाने हेतु घर–घर सर्वेक्षण कार्य की अवधि में 10 मई तक वृद्धि किया गया है।

निगम के सर्वेदल घर–घर सर्वेक्षण में आवेदकों से आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे, प्रतिदिन डोर टू डोर सर्वे पश्चात् उसी दिन योजनावार प्राप्त आवेदनों का विवरण मुख्य कार्यालय में श्रम कार्ड से संबंधित बीमा के आवेदन फार्म कक्ष क्र. 14 में जमा किये जायेंगे, तथा उज्जवला से संबंधित आवेदन पत्र जोन आयुक्त के माध्यम से संबंधित नजदीकी गैस एजेंसी को जमा करेंगे, जोन आयुक्त वार्डवार पृथक से उक्त कार्य की मॉनिटरिंग हेतु अपने अधिनस्त अधिकारियों को दल प्रभारी के रुप में नियुक्त करेंगे, उज्जवला योजना केवाईसी फार्म के साथ 02 कलर फोटो, अंत्योदय गुलाबी कार्ड, बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड की छायाप्रति एवं अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के होने का कोई दस्तावेज, बीमा के लिए पंजीकृत श्रमिकों से श्रमकार्ड, आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति अवश्य उपलब्ध कराकर शासन की योजना का लाभ उठावें।

जन सम्पर्क अधिकारी